भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 3778**
11 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

**विषय- हरियाणा में फसल विविधीकरण**

**3778. श्री जय प्रकाशः**
**श्री सतपाल ब्रह्मचारीः**

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या हरियाणा, विशेषकर सोनीपत और हिसार लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में जल संरक्षण, किसानों की आय बढ़ाने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कोई विशेष योजना या प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू किया जा रहा है और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इससे लाभान्वित किसानों की संख्या, आवंटित निधि और इसमें शामिल वैकल्पिक फसलों का ब्यौरा क्या है;
(ख) फसल विविधीकरण के अंतर्गत किसानों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, विपणन सुविधाएं और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या सरकार के पास पिछले तीन वर्षों के दौरान हरियाणा में कृषि ऋण या ऋणग्रस्तता से जुड़े कारणों से किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं से संबंधित कोई आधिकारिक आंकड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) उक्त घटनाओं को रोकने तथा किसानों को ऋण राहत, संस्थागत ऋण की उपलब्धता, फसल बीमा और मनोवैज्ञानिक-सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ङ) सोनीपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इन योजनाओं के प्रभाव का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)**

(क) एवं (ख): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) हरियाणा में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के अंतर्गत फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी) के माध्यम से वर्ष 2013-14 से विविधीकरण को बढ़ावा दे रहा है, ताकि अधिक पानी की आवश्यकता वाली धान की खेती से हटकर श्री अन्न, दलहन, तिलहन, मोटे अनाज आदि जैसी वैकल्पिक फसलों की खेती की जा सके। हरियाणा में दस जिले नामतः अम्बाला, यमुनानगर, करनाल, कैथल, जिंद, फतेहाबाद, सिरसा, पानीपत, कुरूक्षेत्र और सोनीपत सीडीपी के अंतर्गत शामिल हैं। विगत तीन वर्षों में सीडीपी के तहत हरियाणा राज्य को केंद्र सरकार से 5204 लाख रुपये का केंद्रीय हिस्सा आवंटित किया गया है। सीडीपी एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका कार्यान्वयन कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले संबंधित राज्यों द्वारा किया जाता है और लाभार्थियों का जिलावार विवरण राज्य सरकार द्वारा रखा जाता है। राज्य ने अपनी वार्षिक कार्य योजनाओं में धान के विकल्प के रूप में मक्का, मूंग, उड़द और तुअर को शामिल किया है।

सीडीपी के तहत, वैकल्पिक फसल प्रदर्शन, कृषि मशीनीकरण और मूल्यवर्धन, स्थल-विशिष्ट कार्यकलाप और जागरूकता सृजन और क्षमता निर्माण से संबंधित आकस्मिक गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, भारत सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) के तहत मोटे अनाज, श्री अन्न (मिलेट), दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत दलहन, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ-ओएस) के तहत तिलहन और एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत बागवानी फसलें उगाना शामिल है। हरियाणा राज्य सरकार ने सूचित किया है कि विभिन्न अन्य

कार्यकलापों के अलावा, राज्य फसल विविधीकरण के लिए किसानों को प्रोत्साहन और बोनस प्रदान करने हेतु अपनी 'मेरा पानी मेरी विरासत' (एमपीएमवी) योजना भी लागू कर रहा है।

(ग) से (ङ): गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), 'भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या' (एडीएसआई) नामक प्रकाशन में आत्महत्याओं से संबंधित जानकारी संकलित और प्रसारित करता है। वर्ष 2024 तक की रिपोर्ट एनसीआरबी की वेबसाइट (https://ncrb.gov.in) पर उपलब्ध है।

सरकार ने खरीफ 2016 से उपज-आधारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) प्रारंभ की है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम की घटनाओं के कारण फसल हानि/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और किसानों की आय को स्थिर करना है। यह योजना राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ-साथ किसानों के लिए भी स्वैच्छिक है। इसके अतिरिक्त, पीएमएफबीवाई के प्रावधानों के अनुसार, कार्यान्वयन के लिए जिलों और फसलों को अधिसूचित करना राज्य सरकार का विशेषाधिकार है। यह योजना 25 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। सभी इच्छुक किसान इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराने के लिए पात्र हैं।

कृषि राज्य का विषय है। तथापि, भारत सरकार केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं और कार्यक्रमों की एक व्यापक श्रृंखला के माध्यम से राज्यों को सहायता प्रदान कर रही है, जिसका उद्देश्य हरियाणा सहित सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में किसानों की आय बढ़ाना है। इन योजनाओं और कार्यक्रमों में कृषि के संपूर्ण क्षेत्र को शामिल किया गया है, जिसमें ऋण, बीमा, आय सहायता, इन्फ्रास्ट्रक्चर, फसलें (बागवानी सहित), बीज, मशीनीकरण, मार्केटिंग, जैविक और प्राकृतिक खेती, किसान समूह, सिंचाई, कृषि विस्तार, किसानों से फसलों की खरीद और डिजिटल कृषि शामिल हैं।

*****